



रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर

न्यू राजेन्द्रनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

निविदा आमंत्रण सूचना

(क्रमांक— 26 दिनांक 06.11.2025)

रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा छ.ग. शासन के एकल प्रणाली पंजीयन के अंतर्गत "द" श्रेणी (एक करोड़ तक के निर्माण कार्यों के लिये) एवं उससे ऊपर की श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएँ प्राधिकरण की निर्धारित निविदा प्रपत्र "बी" आयटम दरों में दिनांक 27.11.2025 को अपरान्ह 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 4.15 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। उक्त आमंत्रण सूचना तथा आगामी संशोधन वेबसाइट <https://rda.cgstate.gov.in/> में देखा जा सकता है।

क्रं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	प्राधिकरण के इन्द्रप्रस्थ फेस-2 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 944 एल.आई.जी. (02 बी.एच.के.) एवं 1472 ई. डब्ल्यू.एस. (01 बी.एच.के.) फ्लैट्स के परिसर की दैनिक साफ-सफाई का कार्य एवं एकत्रित किए गए कचरों का उचित स्थान पर निष्पादन बाबत।	रु. 10,08,500/-	रु. 20,200/-	रु. 2,000/-	वार्षिक (12 माह)

निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय में सहायक अधीक्षक (तक.) से शासकीय कार्य दिवसों में दिनांक 26.11.2025 को (दोपहर 1.30 बजे तक) निर्धारित राशि नगद में राशि जमा कर तथा अन्य जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। धरोहर राशि दिनांक 27.11.2025 को 1.30 बजे तक एफ.डी. आर के रूप में जो कि रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के नाम पर देय हो, प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों को निम्नानुसार जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (1) निर्धारित श्रेणी का वैध पंजीयन। (2) आयकर के पेनकार्ड की प्रति जमा करना होगा। (3) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा रु. 3.00 लाख का अधिप्रमाणित शोध क्षमता प्रमाण-पत्र (4) गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन (5) ई0 एस0 आई0 सी0 अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन अथवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र (6) विगत 03 वर्षों के आयकर रिटर्न प्रमाण-पत्र। (7) उपरोक्त प्रकृति के कार्यों का अनुभव न्यूनतम 03 वर्षों का प्रमाण-पत्र। (8) निविदादाता द्वारा ई.पी.एफ. की संबंधित विभाग में राशि जमा करने का प्रमाण-पत्र (पावती पत्र)।

उपरोक्त क्रमांक 1 से 8 तक के लिए दस्तावेजों के फोटो कॉपी निविदा प्रपत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा मूल प्रति भी दिखाना होगा। इन शर्तों के अतिरिक्त प्राधिकरण में कार्य कर चुके/कार्यरत ठेकेदारों द्वारा कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने में अनावश्यक विलंब के संबंध में विचारोंपरांत ही निविदा प्रपत्र प्रदान करने का निर्णय कार्यालय द्वारा लिया जाएगा।

अधीक्षण अभियंता

रायपुर विकास प्राधिकरण